रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 341] दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 7, 2017/भाद्र 16, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 248

No. 341] DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 7, 2017/BHADRA 16, 1939 [N.C.T.D. No. 248

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 6 सितम्बर, 2017

सं. फा. 23(1362)/सीएपी/परि0/2016–पार्ट–1/204.—दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम, 1993 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियमावली, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (2) तथा धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 111 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसे उन सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है जिन्हें इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना है, इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तिथि से 45 दिन की अवधि के बीतने के बाद निर्धारित अवधि तक इस संबंध में प्राप्त होने वाली किन्ही आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा, जिस तिथि से इस अधिसूचना वाले दिल्ली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध हों।

2. इस संबंध में आपत्तियों या सुझाव आयुक्त (परिवहन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग, 5/9, अंडर हिल रोड़, दिल्ली–100054 को सम्बोधित की जानी चाहिए।

प्रारूप नियमावली

1. **संक्षिप्त षी"र्क एवं प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन (संशोधन), नियमावली, 2017 कहा जायेगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

2. **नियम 99 का संषोधन.**—दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 99 में उपधारा (3) के :–

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

''99(3)(क) – प्रदूषण जांच केन्द्र का प्राधिकारः– कोई भी सर्विस स्टेशन वर्कशाप प्रदूषण जांच केन्द्र के रूप में कार्य नहीं करेगा जब तक कि उसके पास विशेष आयुक्त (परिवहन), परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वैध प्राधिकार प्रदान न किया गया हो।''

(ii) खंड (घ) के पैरा (iii) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

''99(3)(घ) (iii) – विशेष आयुक्त (परिवहन) अपने विवेकाधिकार से सुनवाई के पश्चात् या ऐसी जांच पश्चात् जिसे वह सही व उचित समझे, उक्त प्रदूषण जांच केन्द्र को निलंबित/रद्द कर सकता है।''

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

वर्षा जोशी, सचिव एवं आयुक्त (परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 6th September, 2017

No. F. 23(1362)/CAP/TPT/2016-Part-I/204.—The following draft of rules further to amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, which the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi proposes to make, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 111, read with clause (41) of section 2 and sub-section (2) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Delhi Gazette containing this notification are made available to the public, together with any objections or suggestions that may be received in respect thereto by the stipulated period.

2. Objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Commissioner (Transport), Government of National Capital Territory of Delhi, Transport Department, 5/9, Under Hill Road, Delhi-110054.

DRAFT RULES

1. **Short title and Commencement.—**(1) These rules may be called the Delhi Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Delhi Gazette.

2. **Amendment of rule 99 –** In the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, in rule 99 in sub-rule (3) : **—**

(i) for clause (a) the following shall be substituted, namely:**—**

"99(3)(a) – Authorization of Pollution Checking Centre:- No service station workshop shall act as pollution checking centre unless it holds valid authorization granted by the Special Commissioner (Transport), Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi."

(ii) for para (iii) of clause (d), the following shall be substituted, namely:**—**

"99(3)(d)(iii) – The Special Commissioner (Transport) may at its discretion suspend/cancel the authorization of the said pollution checking centre after hearing the accused or after making such enquiry as it deems just and proper."

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

VARSHA JOSHI, Secy.-cum-Commissioner (Transport)

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.09.11 19:08:03 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.